निर्णय न्यायालय श्री मनोज कुमार वर्मा, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
733 / 2018	17.7.2018	09/10/19

राजबाई पत्नी रामहेत, मीना नि0 भारजा नदी तह0 मलारनाडूंगर --प्रार्थिया

बनाम

सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारनाडूंगर --अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- श्री शंभुलाल मीना, एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि साबिक ख0नं0 879 में से 3 बीघा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1151 दि0 14.6.2002 से गैरखातेदारी से खातेदारी स्वीकार हुई जिसमें रामहेत पुत्र अम्बालाल व राजवाई पत्नी रामहेत नाम जमाबंदी सं0 2050 से 2053 में सही दर्ज है। भू-प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0नं0 879 से प्रार्थिया की खातेदारी का नवीन ख0नं0 1005 बना है परन्तु भू-प्रबन्ध कर्मचारियों ने लापरवाहीपूर्वक कार्य करते हुए राजबाई पत्नी रामहेत के स्थान पर रामबाई पत्नी अम्बालाल गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थिया अपना नाम व पति का नाम सही कराने का पूर्ण अधिकार रखती है। दिनांक 10.7.2018 को प्रार्थिया पटवारी हलका गम्भीरा के पास सोसायटी में जमाबंदी लगाने के लिए नकल लेने गई तब पटवारी हलका ने बताया कि प्रार्थिया व प्रार्थिया के पति का नाम गलत दर्ज हो रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थिया का नाम रामबाई पत्नी अम्बालाल के स्थान पर राजबाई पत्नी रामहेत शुद्ध किया जावे। राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जाने का आदेश तहसीलदार मलारनाडूंगर को दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072, नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053, नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटोकोपी मतदाता पहचान पत्र, फोटोकोपी राशनकार्ड प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत मामले में तहसीलदार मलारनाडूंगर से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार मलारनाडूंगर से भू-अभिलेख निरीक्षक शेषा की मूल रिपोर्ट

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

एवं तहसीलदार मलारनाडूंगर की रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाई गई है जो पत्रावली में संलग्न है।

बहस विद्वान वकील प्रार्थिया सुनी गई।

प्रार्थिया के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053 के अनुसार ग्राम भारजानदी में अंकित नोट के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1151 दिनांक 14.6.2002 से रामहेत पुत्र अम्बालाल, राजबाई पत्नी रामहेत कौम मीना के नाम ख0नं0 879/1 रकबा 3 बीघा की गैरखातेदारी स्वीकार हुई है। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0नं0 879 रकबा 26 बीघा 4 विस्वा से नवीन ख0नं0 1005 रकबा 6.68 है0 बनाया गया है। नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 के अनुसार ख0नं0 2170/1005 रकबा 0.76 है0 रामहेत पुत्र अम्बालाल रामबाई पत्नी अम्बालाल जाति मीना की खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार मलारनाडूंगर की रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी सं0 2050 से 2053 के जिम्मन नं0 1 में नामा0 सं0 1151 दि0 14.6.02 में रामहेत पुत्र अम्बालाल राजबाई पत्नी रामहेत मीना के नाम रकबा 3 बीघा का नोट गैरखातेदारी का दर्ज है। जमाबंदी सं0 2060 से 2063 में नामा0 सं0 97 दि0 30.11.11 से ख0नं0 2170/1005 रकबा 0.76 है0 रामहेत पुत्र अम्बालाल राजबाई पत्नी रामहेत जाति मीना के नाम गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज है। मौके के अनुसार साबिक ख0नं0 879 रकबा 3 बीघा के हालख0नं0 2170/1005 रकबा 0.76 है0 भूमि पर रामहेत पुत्र अम्बालाल राजबाई पत्नी रामहेत मीना ही काबिज है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं तहसीलदार मलारनाडूंगर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया का नाम जमाबंदी सं0 2060 से 2063 में राजबाई पत्नी रामहेत मीना दर्ज है परन्तु अब भू-प्रबन्ध में इसे रामबाई पत्नी अम्बालाल दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थिया इस गलत इन्द्राज को सही कराने की अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम भारजानदी की जमाबंदी सं0 2069 से 2072 के खाता संख्या 459 में अंकित भूमि ख0नं0 2170/1005 रकबा 0.76 है0 में दर्ज प्रविष्टि "रामहेत पुत्र अम्बालाल रामबाई

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

पत्नी अम्बालाल जाति मीना सा0 देह खातेदार (ना0नं0 1151, 97)" के स्थान पर प्रविष्टि "रामहेत पुत्र अम्बालाल राजबाई पत्नी रामहेत जाति मीना सा0 देह खातेदार (ना0नं0 1151, 97)" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु निर्णय की सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार मलारनाडूंगर को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/X/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

09/X/19

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2019.11.13 14:22:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: